N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0143 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/07/2024 14:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 13/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:15 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/07/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/07/2024 14:26:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM DUMRA, POLICE THANA MUKUNDGADH, PARIWADI KA MAKAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NORANGLAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RADMAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1966 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DUMRA, MUKANDGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DUMRA, MUKANDGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANDEEP KUMAR		पिता:DWARKA PRASAD	1. SANKHU,SIKAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सीकर विषय - रिश्वत लेने वाले श्री सन्दीप हवलदार पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै नोरगलाल पुत्र श्री रडमलराम निवासी डूमरा पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं का निवासी हू। मेरे व मेरे परिजनों के खिलाफ मेरी पुत्रवधू श्रीमती कृष्णा ने मुकन्दगढ थाने पर मुकदमा नम्बर 132/24 मारपीट व छेडखानी का दर्ज करवा रखा है जिसकी जांच सन्दीप हवलदार कर रहे है। सन्दीप हवलदार मेरे व मेरे परिजनों को गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान कर रहा था तो तीन-चार दिन पहले मैं सन्दीप हवलदार से मिला तो उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे तीस हजार रूपये दे देना मैं तुम्हारे मुकदमें से गिरफ्तारी की धारा हटाकर थाने पर ही जमानत भर लूंगा और फिर एक दिन कोर्ट में आ जाना वहाँ पर तुम्हारा चालान पेश कर दूंगा जिस पर तुम्हारे 100-200 रूपये का जुर्माना हो जायेगा इस पर मैने सन्दीप हवलदार से अपनी गरीबी का हवाला देकर पैसे कम करने की कही तो उसने दो हजार रूपये कम करके मुझे कहा कि तुम मुझे 28000 रूपये दे देना इस पर मैं उनसे आईन्दा मिलने की कहकर अपने घर चला गया। मै श्री सन्दीप हवलदार को हमारे खिलाफ दर्ज झूंठे मुकदमें की जांच करने के नाम पर 28000 रूपये रिश्वत के नहीं देना चाहता हू बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हू। दिनांक 11.07.24, प्रार्थी नोरंगलाल पुत्र श्री रडमलराम निवासी डूंमरा पुलिस थाना मुकन्दगढ झुंझुनूं, कार्यवाही शुरू की जाती है। एसडी-सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक 11.07.2024, एसडी-नेमीचन्द 12.07.2024, केशवदेव जानू 12.07.24 कार्यवाही पुलिस 11.07.2024 10.15 एएम इस समय परिवादी श्री नोरंगलाल पुत्र स्व. श्री रडमल जाति जागिड़ उम्र 58 वर्ष, निवासी डूमरा पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं उपस्थित चौकी आया व मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र मय पहचान के रूप में अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति के प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री नोरंगलाल ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा लिखकर लाना बताया व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो व मजीद दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिष्वत लेन-देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात परिवादी श्री नोरंगलाल ने बताया कि श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल ने आज मुझे पुलिस थाना मुकुन्दगढ में बुलाया है। जिस पर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री नोरंगलाल को डीवीआर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई व श्री रामनिवास कानि. नं. 485 का परिवादी श्री नोरंगलाल से परिचय करवाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री रामनिवास कानि. नं. 485 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी जाकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री रामनिवास कानि. नं. 485 के साथ परिवादी श्री नोंरगलाल को मुकुन्दगढ रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। उसी दिन श्री रामनिवास कानि. मय परिवादी श्री नोरंगलाल ने उपस्थित कार्यालय आये। श्री रामनिवास कानि. ने डिवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं एंव परिवादी श्री नोरंगलाल एसीबी कार्यालय से रवाना होकर मुकुन्दगढ में पहुचे जहाँ पुलिस थाने के पास पहुॅचने पर मैंने डिवीआर मय मेमेरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर दिया था जिसे परिवादी श्री नोंरगलाल प्राप्त कर थाने के अन्दर चले गये थे। परिवादी श्री नोरंगलाल के पुलिस थाने के बाहर आने पर मैंने इनसे डीवीआर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गये।" परिवादी श्री नोंरगलाल ने रामनिवास कानि. के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि "मुकुन्दगढ में पुलिस थाने के पास पहुॅचने पर आपके श्री रामनिवास ने मुझे डिवीआर मय मेमोरी कार्ड के मुझे दे दिया था जिसे मैंने चालुकर पुलिस थाने के अन्दर जाकर श्री सन्दीप, हैड कानिस्टेबल से हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमे के सम्बन्ध में बात की तो उसने मेरे से पॉच हजार रूपये ले लिये लेकिन मेरे से रिश्वत के सम्बन्ध में और वार्ता नही की। वह बार-बार में मेरे से बात करते हुये अपने कमरे से बाहर आ जा रहा था। जिस कारण उसने मेरे से रिश्वती राशि के सम्बन्ध मे वार्ता नही की। पुलिस थाने से बाहर आने पर मैंने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के बन्द कर आपके कानि. रामनिवास को सुपुर्द कर दिया था। फिर वहाँ से रवाना होकर हम आपके पास आ गये। आज हो सकता है कि वह कार्य मे व्यस्त होने के कारण रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता नही की हो, वो मेरे से

कल बात कर सकता है। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर को चालु कर सुना तो कानि. एवं परिवादी के द्वारा बताये गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि नही होना पाया गया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित आलमारी में रखा। परिवादी को सुबह 09.00 एएम पर उपस्थित होने की मुनासीब हिदायत कर समय 05.00 पीएम पर रूखसत किया गया। दिनांक 12.07.2024 को परिवादी श्री नोरंगलाल उपस्थित कार्यालय आया एंव मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 11.07.2024 को श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल ने मोबाईल नं. से शाम को करीब 08.05 पीएम पर मेरे मोबाईल नं. 6367251703 पर जरिये वाटसअप कॉल कर मेरे को आज दिनांक 12.07.2024 को पुलिस थाने पर बुलाया है। मैं आज श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल के पास पुलिस थाने पर जाउंगा तो वो मेरे से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करेंगा। जिस पर कार्यालय की मेरी आलमारी में रखा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के आलमारी से बाहर निकालकर श्री रामनिवास कानि. नं. 485 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री रामनिवास कानि. नं. 485 के साथ परिवादी श्री नोरंगलाल को मुनासिब हिदायत दी जाकर समय 10.00 एएम पर मुकुन्दगढ रवाना किया गया। उसी दिन समय करीब 01.10 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. मय परिवादी श्री नोरंगलाल के उपस्थित कार्यालय आया एंव डिवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री नोंरगलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैं एंव श्री रामनिवास कानि. एसीबी कार्यालय से रवाना होकर मुकुन्दगढ में पहुचे जहॉ पुलिस थाने के पास पहॅुचने पर श्री रामनिवास कानि. ने डिवीआर मय मेमेरी कार्ड मुझे सुपुर्द कर दिया था जिसे लेकर मैं थाने के अन्दर चला गया जहॉ पर श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल पुलिस थाने में मौजुद नही मिलने से मैं थाने के बाहर श्री रामनिवास कानि. के पास आ गया। पुलिस थाने के बाहर से मैंने समय करीब 11.31 एएम पर श्री सन्दीप हैड कानि. के मोबाईल नं पर मेरे मोबाईल नं. का स्पीकर ऑन करके वार्ता की तो श्री सन्दीप, हैडकानिस्टेबल ने थोड़ी देर में स्वयं द्वारा फोन करने की कही। उक्त वार्ता को मेरे पास मौजुद डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। उसके बाद समय करीब 11.36 एएम पर श्री सन्दीप हैड कानि. के मोबाईल नं से मेरे मोबाईल नं. पर कॉल आया तो मैंने कॉल उठाकर मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन कर लिया तब श्री सन्दीप हैडकानिस्टैबल ने कहां कि आप मण्डी चौराहा पर आ जाओ। उक्त वार्ता को मेरे पास मौजुद डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मै एंव आपके कार्यालय के रामनिवास कानि. मण्डी चौराहा मुकुन्दगढ पहॅुच गये जहॉ पर आपके रामनिवास कानि. एक साईड में खड़े हो गये एंव मैंने मेरे पास मौजुद डीवीआर को चालु कर लिया। जहॉ कुछ समय पश्चात श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल मेरे पास मोटरसाईकिल लेकर आया एंव मेरे को मोटरसाईकिल पर बिठाकर रेल्वे स्टैशन मुकुन्दगढ के बाहर एक साईड में ले जाकर मेरे से मेरी पुत्रवधु द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें के सम्बन्ध में वार्ता कर कहां कि तीस हजार मे से दो हजार कम करलो अठाईस हजार रूपये में आपका काम हो जायेगा तब मैने कहां कि पॉच हजार रूपये कल आपको दे दिये थे कितने ओर देने पड़ेगे तब श्री सन्दीप कुमार ने कहां कि तेईस हजार रूपये ओर देने है तब मैंने कहां कि दस हजार रूपये मैं आज शाम तक आपको दे दूगां तब श्री सन्दीप, हैड कानिस्टेबल ने कहां कि मैं आपको जगह बता दॅुगा।" उसके पश्चात सन्दीप कुमार मेरे को मोटरसाईकिल पर बिठाकर मण्डी चौराहा पर एक दुकान पर ले जाकर वहॉ पर दुकान वाले से वार्ता करने लग गया तथा मेरे को भेज दिया। मैं वहॉ से रवाना होकर आपके कानिस्टेबल रामनिवास के पास पहुचकर डिवीआर को बन्द करके उनको सुपुर्द कर दिया उसके पश्चात मैं एवं श्री रामनिवास कानि. रवाना होकर आपके पास आ गये। श्री रामनिवास कानि. ने भी परिवादी के कथनो की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर को चालु कर सुना तो परिवादी एवं कानि. द्वारा बताये गये तथ्यो के क्रम में रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। तत्पश्चात कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सीकर से श्री नेमीचन्द, सिपाही एंव श्री केशवदेव जानू सिपाहीगण को तलब किया जाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री नोंरगलाल व एसीबी स्टाफ से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। परिवादी श्री नोरंगलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि "मैंने श्री सन्दीप हैड कानिस्टेबल को शाम तक रूपये देने की कही है इसलिये रिश्वती राशि मैं उसको शाम को ही दूंगा। तत्पश्चात परिवादी श्री नोरंगलाल ने हिदायत देने पर आरोपी श्री सन्दीप, हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अकिंत करवाकर समस्त नोटों पर श्री महेश कुमार, हैड कानि. 48 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री नेमीचन्द से परिवादी श्री नोरंगलाल की जामा तलाषी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 10,000 रूपयों के नोट श्री महेश कुमार, हैड कानि. 48 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रूपयों को नही छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नही मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वंय की जेब में रखे पाऊडर लगे रूपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिष्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नम्बर पर मिस कॉल देकर ईषारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी

[redacted]

भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री महेश कुमार, हैड कानि. 48 जिसने नोटो पर फिनोपथलीन पाउडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्षन करवाकर दोनो फिनोपथलीन एंव सोडियम कार्बोनेट पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीषी गवाहान की मौजूदगी में श्री महेश कुमार, हैड कानि. 48 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एंव कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास कुल नग 10 व कांच की शीषीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईषारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की दूसरी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिष्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री नोरंगलाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय 07.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री नोरंगलाल, स्वतंत्र गवाहान श्री नेमीचन्द एवं श्री केशवदेव जानू एवं ब्यूरो स्टॉफ के श्री मूलचन्द हैड कानि.123, श्री मनोज कुमार हैड कानि. 134, श्रीमती सुशीला मकानि. 107, श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. 87, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386, श्री सुरेश चन्द कानि. चालक नं. 60 मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के मय रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.07.2024 का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर कस्बा मुकुन्दगढ में मण्डी चौराहा के पास पहुँचे जहाँ वाहनो को साईड में रूकवाकर परिवादी श्री नोरंगलाल के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी श्री सन्दीप, हैड कानिस्टेबल के मोबाईल पर कॉल करवाया तो श्री सन्दीप, हैड कानिस्टेबल ने फोन रिसीव नही किया। परिवादी नोरंगलाल ने अपने स्तर पर मालूमात कर बताया कि "श्री सन्दीप हैड कानिस्टैबल पुलिस थाना मुकुन्दगढ में उपस्थित नही है एंव वह मेरा फोन भी नही उठा रहा है इसलिये वो अब मेरे से नही मिलेगा इसलिये अग्रिम कार्यवाही आप कल दिनांक 13.07.2024 को करें कल सुबह मैं आपको 10.00 एएम पर कस्बा मुकुन्दगढ में मिल जाउंगा।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नोरंगलाल की पेन्ट की जेब में पाउडर लगे रिश्वती राशि के 10,000 रूपये गवाह श्री नेमीचन्द से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर सुरक्षित रखे गये तथा गवाह नेमीचन्द के हाथ साफ पानी एंव साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को सुपुर्द डिवीआर मय मेमोरी कार्ड परिवादी से प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी को हिदायत मुनासिंब कर कस्बा मुकन्दगढ में छोड़कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही के मुकन्दगढ से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूचा। रिश्वती राशि के पाउडर लगे 10,000 रूपये एंव रिश्वत मांग सत्यापन एंव रिश्वत लेनदेन से सम्बन्धीत डीवीआर को मन् पुलिस निरीक्षक ने Loa की आलमारी में सुरक्षित रखा। स्वतंत्र गवाहान को सुबह 08.30 एएम पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 13.07.2024 को समय करीब 8.30 एएम पर स्वतत्रं गवाह श्री नेमीचन्द एंव श्री केशवदेव जानू सिपाहीगण के उपस्थित कार्यालय आने पर मन् पुलिस निरीक्षक की आलमारी में सफेद कागज मे रखे रिश्वती राशि ने 10,000 रूपये एंव रिश्वत मांग सत्यापन का डीवीआर मय मेमोरी कार्ड व दूसरा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय स्वतंत्र गवाहान श्री नेमीचन्द एवं श्री केशवदेव जानू एवं ब्यूरो स्टॉफ के श्री सुभाष चन्द्र, एएसआई, श्री मूलचन्द हैड कानि. 123, श्री मनोज कुमार हैड कानि. 134, श्रीमती सुशीला मकानि. 107, श्री राजेन्द्र प्रसाद हैड कानि. 87, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568, श्री दलीप कुमार कानि. नं. 10, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री अमित कुमार, कनिष्ठ सहायक, श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386, श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क करते हुये कस्बा मुकुन्दगढ से पहले डूडलोद फाटक के पास पहुँचा, जहाँ परिवादी श्री नोरंगलाल उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि "आज सुबह सन्दीप, हैड कानि. वर्दी में कार में मुझे मेरे गाँव में मुकुन्दगढ रोड पर जोहड़े के पास मिला जिसने मेरे को बताया कि मैं घण्टेभर में राणासर गाँव जाकर आता हूँ, वापिस आते समय यही आपसे मिल लूंगा। तब मैंने सन्दीप कुमार हैड कानि. को कहां कि मैं घण्टे, डेड घण्टे में रूपयो की व्यवस्था करके लाता हूँ। आप वापिस आवोगे तब आपसे मिल लूंगा। इसके बाद सन्दीप हैड कानिस्टेबल राणासर गांव की तरफ चला गया। उसके बाद मैं गाँव से रवाना होकर आपके इन्तजार में यहाँ खड़ा हूँ। जिस पर परिवादी के चाहेनुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी श्री नोंरगलाल को हमरा लेकर डूंडलोद फाटक से रवाना होकर परिवादी के गाँव डूमरा में जालपाना जोहड़ा के पास पहुँचा जहाँ वाहनो को साईड में रूकवाकर परिवादी श्री नोरंग लाल के मोबाईल नं. [redacted] से आरोपी सन्दीप, हैड कानिस्टेबल के मोबाईल [redacted] पर वार्ता

करवाई गई तो आरोपी श्री सन्दीप हैड कानिस्टैबल ने परिवादी को डूमरा गांव में मुकुन्दगढ सड़क पर बने जोहड़े पर मिलने की कही, जिस पर परिवादी ने आरोपी सन्दीप हैड कानिस्टेबल को अपने घर पर ही आने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर रिश्वत लेनदेन से सम्बन्धित डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी के चाहेनुसार रिश्वती राशि परिवादी ने आरोपी को अपने घर पर बुलाकर देने की कहने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने सफेद कागज में रखी रिश्वती राशि के पाऊडर लगे 10,000 रूपये के नोट श्री रामनिवास कानि. से निकलवाये जाकर नोटो का मिलान दोनो गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। परिवादी श्री नोरंगलाल की जामा तलाशी गवाह श्री नेमीचन्द से लिवाई जाकर रिश्वती राशि के नोट परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। वाहन में रखी साफ पानी की बोतलो से दोनो स्वतंत्र गवाहान एंव रामनिवास कानि. के हाथ साफ पानी एंव साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात समय 10.35 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, दोनो स्वंतत्र गवाहान एंव ट्रेप पार्टी सदस्यो के जालपाना जोहड़ा से रवाना होकर समय 10.40 एएम पर परिवादी के आवास मकान के पास पहॅुचा, इतने में ही समय 10.47 एएम पर आरोपी श्री सन्दीप कुमार के मोबाईल नं. से परिवादी के मोबाईल नं. पर कॉल आया जिस पर परिवादी ने आरोपी सन्दीप को अपने घर पर आने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर रिश्वत लेनदेन से सम्बन्धित डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी को रिश्वत लेनदेन से सम्बन्धित डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत कर परिवादी को उसके मकान के अन्दर भेजा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के वाहनो में परिवादी के इशारे के इन्तजार में परिवादी के मकान के पास मुकीम हुआ। समय 10.50 एएम पर ग्राम डूमरा में परिवादी श्री नोरंगलाल के घर के सामने एक स्वीफ्ट कार नं आरजे 23 सीएफ 6339 आकर रूकी, जिसमें से एक पुलिस वर्दी में हैड कानिस्टेबल उतरकर परिवादी के मकान में चला गया जो मन् टीएलओ को मुकिम स्थान से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। समय 11.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी का तय ईशारा मिसकॉल प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतत्र गवाहान मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी को साथ लेते हुये परिवादी श्री नोरंगलाल के मकान में प्रवेश करने पर मकान के अन्दर गेलरी के गेट पर परिवादी श्री नोरंगलाल खड़ा मिला जिसने डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अपने मकान के द्वितीय चौक में पुलिस की वर्दी पहने खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये "श्री सन्दीप, हैड कानिस्टेबल है जिन्होने अभी-अभी मेरे से पाउडर लगे रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने बाये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रख लिये।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस की वर्दी पहने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री सन्दीप कुमार हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं होना बताते हुये कहा कि "मैं क्या बताउ"। आरोपी श्री सन्दीप कुमार को पुनः पुछने पर आरोपी सन्दीप कुमार चुप रहा। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री नोरंगलाल ने आरोपी के कथनो का खण्डन करते हुये बताया कि "मेरी पुत्रवधु द्वारा मेरे एंव मेरे पुत्र एंव मेरी पत्नि के विरूद्ध पुलिस थाना मुकुन्दगढ में दर्ज करवाये गये मुकदमा नं. 132/2024 में मदद करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.07.2024 को मेरे से पॉच हजार रूपये ले लिये एंव रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.07.2024 को 23,000 रूपये ओर देने की कही जब मैंने इनको 10,000 रूपये शाम तक देने की कही थी, जिस के क्रम में मैंने आज इनको पाउडर लगे 10,000 रूपये रिश्वती राशि दी है। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल को परिवादी से रिश्वत में लिये रूपयो के सम्बन्ध में पुछा तो आरोपी सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल ने बताया कि " परिवादी से लिये रूपये मेरी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब में है।" मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वती राशि आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल द्वारा प्राप्त कर लेने की पुष्टि होने पर आरोपी का दाहिना हाथ कलाईयो के उपर से श्री रामनिवास कानि. 485 से एवं बॉया हाथ श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 568 से पकड़वाया जाकर मौके पर कार्यवाही किये जाने के लिए प्रयाप्त सुविधा नही होने पर आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल को ज्यो की त्यो स्थिति में वाहन में बैठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी के परिवादी के घर से रवाना होकर ग्राम पंचायत डूमरा के पंचायत भवन में पहॅुच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात श्री मूलचन्द हैड कानि. नं. 123 के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क R-1 एंव R-2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क L-1 व L-2 से सील्ड किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि पेश करने की हिदायत देने पर श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल ने अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की सामने

की बायी जेब से पॉच-पॉच सौ रूपये के नोटो की थई निकालकर पेश की, जिनको गवाह श्री नेमीचन्द से गिनवाया गया तो कुल 10,000 रूपये के नोट पाये गये। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर 10,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल को ससम्मान एक लोवर उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट को पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट निकालकर पेश की। तत्पश्चात श्री दलीप कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं एक नये प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क P-1 एंव P-2 अंकित किया गया। प्लास्टीक के डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो कुछ नहीं पाया गया। आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल की उक्त पेन्ट बरंग खाकी की सामने की बायी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे़ की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "ए" अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल से परिवादी से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में पुछा तो आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल ने बताया कि " पुलिस थाना मुकुन्दगढ में श्री नोरंगलाल की पुत्रवधु श्रीमती कृष्णा द्वारा मुकदमा नं. 132/2024 श्री नोरंगलाल एंव इनके पुत्र एंव इनकी पत्नि के खिलाफ दर्ज करवाया था। जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात समय 01.10 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र, एएसआई को पुलिस थाना मुकुन्दगढ के अपराध संख्या 132/2024 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति लाने हेतु मुनासिब हिदायत कर मय सरकारी वाहन मय चालक सुरेश कुमार के पुलिस थाना मुकुन्दगढ के लिए रवाना किया गया। आरोपी श्री सन्दीप कुमार हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं का कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री नोरंगलाल एंव दोनो स्वतत्र गवाहान को साथ लेकर जरिये प्राईosc वाहन के परिवादी के मकान पर पहूचा, जहॉ घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवादी के मकान से रवाना होकर समय 02.30 पीएम पर पंचायत भवन डूमरा पहूचा। समय करीब 02.40 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र, एएसआई मय हमराहियान के पुलिस थाना मुकुन्दगढ के अपराध संख्या 132/2024 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति पृष्ठ सख्या 01 से 42 तक पेश की जिसे बाद अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात 02.50 पीएम पर परिवादी श्री नोरंगलाल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.07.2024 एंव 12.07.2024 को आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुंनूं से मोबाईल एंव आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री रामनिवास कानि. 485 से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता को सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण एंव हिन्दी अनुवाद श्री रामनिवास कानि. 485 से करवाया गया। उक्त वार्ता में परिवादी श्री नोरंगलाल ने स्वंय की व आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुंन की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ZOMO 4GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री रामनिवास कानि. 485 से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॉईस रिकार्डर हटाकर उसमें से मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड ZOMO 4GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अकिंत किया गया। तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "बी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लॉस्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "बी-1" एवं "बी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। दिनांक 11.07.2024 को परिवादी एंव आरोपी के मध्य हुई वार्ता स्पष्ट सुनाई नही देने के कारण उक्त वार्ता 01 घण्टे 11 मिनट 15 सेकेण्ड की है का रूपान्तरण नही किया गया है। तत्पश्चात समय 05.10 पीएम पर परिवादी श्री नोरंगलाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 13.07.2024 को आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुंनूं से मोबाईल पर एंव आमने-सामने हुई बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री

नोरंगलाल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री रामनिवास कानि. 485 से कार्यालय के लेपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ताओ को सुना जाकर वार्ता का फर्द रूपान्तरण एंव हिन्दी अनुवाद श्री रामनिवास कानि. 485 से करवाया गया। रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता में परिवादी श्री नोंरग लाल ने स्वंय की व आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुंनूं एंव अपनी पत्नि श्रीमती सरोज की आवाज होना पहचान की। चार खाली सीडी लेकर उक्त वार्ता को लेपटॉप की सहायता से उन चारो सीडीयों में वार्ता की पृथक-पृथक कॉपी/बर्न कर सीडी तैयार की गई। मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईसरिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड ZOMO 4GB एवं दो सीडीयों की लेपटॉप की सहायता से श्री रामनिवास कानि. 485 से FTK Imager से सॉफटवेयर से अलग-अलग हैश वेल्यु निकालकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। लेपटॉप से डिजीटल वॉईस रिकार्डर हटाकर उसमें से रिश्वत लेनदेन वार्ता का मेमोरी कार्ड ZOMO 4GB निकालकर मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अकिंत किया गया । तैयार की गई चार सीडीयों में से हैश वेल्यु निकाली गई एक सीडी पर मार्क "सी-1" एवं दूसरी सीडी पर मार्क "सी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पृथक- पृथक प्लॉस्टीक के कवर में डालकर पृथक- पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया एवं कपड़े की थैली पर मार्क "सी-1" एवं "सी-2" अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडी आरोपी एंव अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। सील्ड पैकेटो को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द डबिंग, तैयार सीडी एंव ट्रांसक्रिप्शन वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकार्डर दौराने रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल की स्वीफ्ट कार आरजे 23 सीएफ 6339 की तलाशी ली गई तो कोई संदिग्ध वस्तु नही पायी गई। स्वीफ्ट कार आरोपी श्री सन्दीप कुमार के बतायेनुसार उसके मामाजी श्री महेन्द्र कुमार को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुंनूं के विरूद् की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान ग्राम पंचायत भवन डूमरा में की गई कार्यवाही के दौरान तैयार की गई फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि के दौरान हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वती राशि एंव पेन्ट धुलाई की विडीयोग्राफी श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 से उसके मोबाईल से करवाई गयी थी। उक्त विडीयोग्राफी की रिकार्डिंग को श्री कैलाश चन्द कानि. नं. 386 के मोबाईल को लेपटॉप से जोड़कर डाउनलोड कर ADATA 16GB के दो मेमोरी कार्डो में अलग-अलग बर्न/कॉपी कर उक्त मेमोरी कार्डो में से एक मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की खाली डिबी में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क "डी" अकिंत कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एंव दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री नोरंगलाल को रूखसत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सन्दीप कुमार, हैड कानिस्टेबल मय जप्त शुदा वजह सबुत के ग्राम डूमरा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूचा। प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा माल वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। की गई कार्यवाही से आरोपी श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी सांखु पुलिस थाना बलारा जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री नोरंगलाल एवं उसके परिजनों के विरूद् पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 132/2024 में छेडछाड की धारा 354 हटाने एवं मारपीट की धाराओं में चालान करने तथा थाने पर ही जमानत लेने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी नोरंगलाल से 5000 रूपये पूर्व में आने की स्वीकारोति देते हुये परिवादी से 23000 रूपये और रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी द्वारा रूपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण 10,000 रूपये बतौर रिश्वत देने की कही तथा मांग के अनुशरण में परिवादी से दिनांक 13.07.2024 को 10,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी सन्दीप कुमार एचसी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद जाति जाट उम्र 32 वर्ष निवासी सांखु पुलिस थाना बलारा जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं के विरूद् उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी सांखु पुलिस थाना बलारा जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल नं. 2404, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 855 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 746-50 दिनांक 14.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयुपुर द्वितीय । 2 जिला पुलिस अधीक्षक झुन्झुनूं। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जयपुर। 4 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/07/2024 14:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)